

राजस्थान मदरसा बोर्ड, जयपुर

मदरसा क्रमोन्ती आवेदन पत्र की चैक लिस्ट

1. प्रबन्ध समिति के सदस्यों के नाम व पते मय फोन नम्बर (कमेटी में एक परिवार से केवल एक की सदस्य हो) संलग्न हैं	हॉ / नहीं
2. पंजीयन प्रमाण पत्र (संलग्न है)	हॉ / नहीं
3. उपलब्ध भवन 6 कक्षा कक्षा, 1 प्रधानार्चा/स्टाफ कक्ष, स्टोर, पेयजल, शौचालय छात्र-छात्राओं के लिए अलग-अलग का पूर्ण विवरण (ब्लू प्रिन्ट की प्रति संलग्न की जाए) (संलग्न है)	हॉ / नहीं
4. मदरसे की स्वयं की भूमि होना आवश्यक है। भूमि के मालिकाना हक पट्टा, विक्रय पत्र, पंजीकृत बक्सीसनामा, मदरसा/मदरसा प्रबन्धन कमेटी के पास होना आवश्यक है। (संलग्न है)	हॉ / नहीं
5. भवन किराये का हा या किराया-विलेख की सत्यापित प्रति। (केवल दिनांक 10.10.2014 से पूर्व पंजीकृत मदरसों पर लागू) (संलग्न है)	हॉ / नहीं
6. पेयजल की व्यवस्था की पूर्ण विवरण (संलग्न है)	हॉ / नहीं
7. विद्युत सप्लाई की व्यवस्था की पूर्ण विवरण (संलग्न है)	हॉ / नहीं
8. मदरसा के गत तीन वर्ष के आय-व्यय एवं बैलेन्स शीट (चार्टर्ड अकाउन्टेंट द्वारा प्रमाणित) (संलग्न है)	हॉ / नहीं
9. कार्यरत स्टाफ (अ) प्राधानाध्यापक (द्वितीय श्रेणी अध्यापक समकक्ष) प्रशिक्षित स्नातक-एक। (ब) अध्यापक प्रशिक्षित (प्रत्येक कक्षा के लिए न्यूनतम एक)। (स) शारीरिक शिक्षक (प्रशिक्षित-एक) (द) चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी-एक (संलग्न है)	हॉ / नहीं
10. मदरसा के पास उपलब्ध फर्नीचर- (1) उच्च प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों हेतु विद्यार्थी डेस्क की गेज़/स्टूल-बैंच, दरी-फर्श छात्र संख्या के अनुसार। (2) अध्यापक मेज और कक्षा/वर्ष के अनुसार। (3) प्राधानाध्यापक मेज-1 (4) प्राधानाध्यापक कुर्सी। (5) अध्यापक कक्ष मेज बड़ी-एक (6) अध्यापक कक्ष कुर्सी-पांच। (7) आलमारी-(अ) प्राधानाध्यापक-दो। (ब) परीक्षा व कार्यालय अभिलेख-दो। (संलग्न है)	हॉ / नहीं
11. पुस्तकालय- (1) दैनिक समाचार पत्र -दो। (2) बालोपयोगी पत्रिका-दो। (3) साप्ताहिक पत्रिका-एक। (4) पुस्तक-300 अतिरिक्त (संलग्न है)	हॉ / नहीं
12. अध्ययन/अध्यापन सामग्री (1) ब्लैक बोर्ड कक्षानुसार आवश्यक (2) ज्योमेट्री बॉक्स लकड़ी का बड़ा-एक (3) ग्लोब बड़ा-एक (4) चार्ट पाठ्यक्रम के अनुसार (5) मॉडल्स पाठ्यक्रम के अनुसार (6) नक्शे जिला, राज्य, देश, विश्व-एक सेट (7) प्राकृतिक राजनैतिक, वन सम्पदा, खनिज एवं यातायात-एक सेट (8) रोल अप बोर्ड-तीन (9) पाठ्यक्रम-एक सेट (10) पाठ्य पुस्तक-प्रति कक्षा-एक सेट (11) अध्यापक संदर्भिता-प्रति कक्षा एक सेट (12) विज्ञान सामग्री आवश्यकतानुसार (संलग्न है)	हॉ / नहीं
13. खेल सामग्री (1) फुटबाल-चार (2) बॉलीबाल मय नेट-चार (3) हैण्डबाल-दो (4) सॉफ्ट बॉल-दो (5) शॉट पुट (जूनियर)-एक (6) डिस्क (जूनियर)-एक (7) जेवेलियन-एक (संलग्न है)	हॉ / नहीं
14. फीस निःशुल्क/आवश्यकता हो तो मामूली फीस समुदाय की साधारण सभा में निर्धारित करानी होगी तथा बोर्ड से उसका अनुमोदन लेना होगा (संलग्न है)	हॉ / नहीं
15. क्षेत्र- (1) विद्यालय के आस-पास का वातावरण प्रदूषण रहित होगा। (2) एक किलोमीटर की दूरी में अन्य पंजीकृत मदरसा ना हो। (3) शहर के मामले में संबंधित मौहल्ले में अन्य मदरसा उच्च प्राथमिक स्तर का न हो। (संलग्न है)	हॉ / नहीं
16. संस्था साम्रादायिक तथा राजनैतिक कार्यकलापों में भाग नहीं लेगी (संलग्न है)	हॉ / नहीं
17. विद्यार्थी कल्याण- (1) विद्यार्थियों के शारीरिक व्यायाम, खेल एवं प्रशिक्षण के लिए उपयुक्त व्यवस्था (2) चरित्र निर्माण और नैतिकता की ओर पर्याप्त ध्यानाकर्षण (संलग्न है)	हॉ / नहीं
18. निरीक्षण- संस्था की जांच/निरीक्षण किसी भी समय मदरसा बोर्ड एवं अल्पसंख्यक मामलात विभाग के किसी भी अधिकारी द्वारा किया जा सकेगा। संस्था को सभी आवश्यक अभिलेख/विवरण तुरन्त उपलब्ध कराने होंगे। (संलग्न है)	हॉ / नहीं
19. क्रमोन्यन हेतु मदरसे को केटेगरी 'ए' में पंजीकरण होना आवश्यक होगा। उक्त निति पॉलिसी निर्धारित करने से पूर्व जिन मदरसों का प्राथमिक श्रेणी में बगैर केटेगरी के पंजीयन किया गया है। उनकी क्रमोन्त करते समय अन्य मापदण्डों का ध्यान में रखा जायेगा।	हॉ / नहीं
20. सबसे नजदीकी मदरसे से सम्बन्धित 10 रुपये का नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर नोटेरी पब्लिक द्वारा सत्यापित शपथ पत्र (संलग्न है)	हॉ / नहीं
21. मदरसा क्रमोन्त शुल्क 1000/- - रुपये जमा कराने वालत (संलग्न है)	हॉ / नहीं
22. मदरसा के नाम 10000/- रुपये की एफ.डी. खाते में होना चाहिए जो निकाले नहीं जाने चाहिए। (अ) मदरसे की नियमित आय का आंकड़ा एवं उक्त आय का स्त्रोत होने का स्पष्ट विवरण (ब) स्त्रोत के नियमित पर्याप्त तथा स्थायी होने की सुनिश्चितता का प्रमाण पत्र (स) मदरसे के बैंक पासबुक की सत्यापित प्रति (द) मदरसे से बैंक खाते की निरस्त प्रति (संलग्न है)	हॉ / नहीं
23. जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी का भौतिक सत्यापन (संलग्न है)	हॉ / नहीं
24. अध्यक्ष एवं सचिव द्वारा वचन बन्ध 100/-रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर जो नोटेरी पब्लिक द्वारा सत्यापित (संलग्न है)	हॉ / नहीं
25. विशेष योग्य जन (निःशक्तजन) हेतु रैम्प की व्यवस्था (संलग्न है)	हॉ / नहीं

हस्ताक्षर सदर

हस्ताक्षर सचिव

प्रमाणित किया जाता है कि बिन्दु संख्या 1 से 19 तक की जाच मेरे द्वारा मूल दरसावेजों से कर ली गई है। मदरसा उक्त बिन्दुओं की पूर्ण पालना कर रहा है। नवीन पंजीयन की अभिशंषा की जाती है।

हस्ताक्षर

हस्ताक्षर जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी